

# ‘ओम बिड़ला के ओ.एस.डी. राजीव दत्ता पर लगे मानव तस्करी के आरोपों की जाँच गंभीरता और तीव्रता से करें’

## राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में दायर एफ.आई.आर. तथा परिवादों की जाँच ए.डी.जी. (अपराध) दिनेश एम.एन. के निरीक्षण में की जाए

**-रेणु मित्तल-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 4, अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता, अर्चना झाला, दिनेश मुरझानी व वंदिता राणा पुलिस अधीक्षक अजमेर के विरुद्ध अजमेर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग मानव तस्करी की शिकायत का अनुसंधान एडीजी क्राइम दिनेश एम.एन. करेंगे एवं याचिकाकर्ता एडवोकेट शेखर मेवाड़ा के विरुद्ध दर्ज एफआईआर का अनुसंधान भी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ही करेंगे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से

- अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को कानूनी सुरक्षा देते हुए कहा कि इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बलपूर्वक या दण्डात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता, जैसे कि उनकी गिरफ्तारी करना इत्यादि, जब तक अदालत ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती या याचिकाकर्ता जाँच में सहयोग नहीं करते।
- याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवार दायर किया है, परन्तु कोटा में राजनैतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई।
- याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जिसकी भी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवार दायर की है, परन्तु कोटा में राजनैतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके

साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जिसकी भी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। अधिवक्ता शेखर मेवाड़ा पर बूंदी में हुए कतिलाना हमले की एफआईआर

दर्ज करने के निर्देश दिए एवं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता एवं रविंदर गौड़ (आईजी कोटा), गंगा सहाय (डिप्टी एसपी कोटा सिटी), राजेन्द्र कुमार मीणा (एसपी बूंदी), रमेश आर्य (एसएचओ सदर बूंदी), सुनील खटाना व अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश दिया।

निम्न याचिकाओं की तरफ से अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य ने न्यायालय को बताया कि ऊपर बताए गए व्यक्तियों के खिलाफ मानव तस्करी में परिवार अनुसंधान में लंबित है तथा उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश के अनुसार, “पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय में उपस्थित अधिकारी (दिनेश एम.एन.) द्वारा दी (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

स्कूल इमारतों की बर्दहाल स्थिति पर सरकार दो सप्ताह में जवाब दे

- जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की स्कूलों की इमारतों की बर्दहाल स्थिति और उनमें संसाधनों के अभाव से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।
- सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सहित अन्य वकील पेश हुए। उन्होंने अदालत

से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 जुलाई को प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों सहित उनमें संसाधनों की कमी को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव, एसएस शिक्षा, प्रमुख बाल कल्याण सचिव और राष्ट्रीय बाल आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की एक अन्य एकलपीठ ने स्कूल भवनों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है केन्द्र सरकार?

## दिन भर सोशल मीडिया पर यह चर्चा आम रही

- चर्चा है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठा सकती है।
- लेकिन, यह भी कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार को भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों का इस पर समर्थन शायद ना मिले।
- भाजपा व मोदी के कई समर्थकों ने कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर चिंता जताई और कहा, जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की गलती न की जाए।

बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हाल के कुछ घटनाक्रमों ने राज्य के दर्जे की लम्बित बहाली की इन अफवाहों को और बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से भेंट की। शाह ने जम्मू-कश्मीर के कुछ नेताओं और भाजपा के प्रदेश प्रमुख के साथ भी मीटिंग की। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एनडीए सांसदों की भी बैठक बुलाई है। अगर वाकई राज्य का दर्जा बहाल होता है, तो यह कदम प्रधानमंत्री मोदी को वर्तमान गम्भीर चुनौतियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इसके अलावा, पहलागम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान पर की गई सैन्य कार्रवाई से भी भारत की कूटनीतिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों में भारत सरकार की स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह कदम भाजपा के समर्थकों को शायद पसंद न आए। सेना के पूर्व अधिकारी और लेखक (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं’

## सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने के साथ ही नसीहत भी दी

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 4 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर दिए गए बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी, साथ ही यह सवाल भी उठाया कि उन्होंने यह मुद्दा सोशल मीडिया पर क्यों उठाया, संसद में क्यों नहीं?

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहुल गांधी को सावधान करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे सोशल मीडिया पर उठाने की बजाय संसद में उठाए जाने चाहिए। बेंच ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में विचारधीन उस क्रिमिनल मानहानि केस में स्टे दे दिया, जो 2022 की “भारत जोड़ी यात्रा” के दौरान भारतीय सेना के बारे में की गई उनकी टिप्पणी

- सुप्रीम कोर्ट ने सेना के कथित अपमान संबंधी एक केस, जो लखनऊ की एक अदालत में चल रहा था, में कार्यवाही पर स्टे लगा दिया।
- राहुल पर आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी कि चीन के सैनिक अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पीट रहे थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर राहत दी कि राहुल की टिप्पणी से शिकायतकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है।
- कोर्ट ने यह भी कहा, यह मुद्दा संसद में उठाया जाना चाहिए।

से सम्बंधित है। गांधी ने कहा था कि “चीनी सैनिक अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं।” यह टिप्पणी “लाइन ऑफ चुकचुअल कन्ट्रोल” पर चीनी कार्यवाही को लेकर, केन्द्र सरकार को निशाना बनाते हुये की गई थी। अदालत ने गांधी से यह भी पूछा

कि क्या उनकी टिप्पणी किसी विश्वसनीय सामग्री पर आधारित थी। बेंच ने कहा, “आपने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर क्यों की? संसद में क्यों नहीं? आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? आपके पास इसका (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

एसआई भर्ती पेपर लीक में याचिकाकर्ता की बहस पूरी हुई

- जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ता पक्ष से जुड़े सभी वकीलों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए पांच अगस्त का समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से ओपी
- अब सुनवाई 5 अगस्त को।

सोलंकी और हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती को रद्द करने की गुहार करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में भर्ती को लेकर राज्य सरकार कोई निर्णय ले, ऐसी प्रार्थना नहीं की गई है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी करने के बाद अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त को तय की है।

# क्या बिहार चुनाव के बाद कोई बम फोड़ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू?

## लगातार दूसरी बार मोदी सरकार की नीतियों पर विरोध जताया

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 4 अगस्त। एक ऐसे कदम के अन्तर्गत, जो एनडीए गठबंधन में दरार को और गहरा कर सकता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने केन्द्र सरकार को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने चिंता जताई है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई टैरिफ वृद्धि का आंध्र प्रदेश के झींगा (श्रिम्प) और मत्स्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मोदी सरकार को संबोधित इस पत्र में तटीय क्षेत्रों के उन किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, जो समुद्री खाद्य निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हैं। नायडू का यह पत्र ऐसे समय में आया है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के इस कदम पर अब तक चुपची साध रखी है, जबकि यह भारत के जलीय कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से झींगा

- अब चंद्रबाबू नायडू ने ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार को कड़ा पत्र लिखा व आंध्र के मत्स्य उद्योग के लिए गंभीर चिंता जताई।
- इससे पहले चंद्रबाबू ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर नाराज़गी जताई थी।
- नायडू के इन कदमों को एनडीए में दरार पड़ने का पूर्व संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा, अगर बिहार चुनाव के नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं आए तो नायडू कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।

निर्यात में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, के लिए गंभीर आर्थिक नतीजों का कारण बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह घटनाक्रम टीडीपी और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के बीच बढ़ते अंतर्गोप का एक और संकेत है। हाल के हफ्तों में यह दूसरा अवसर है, जब नायडू ने खुलकर असहमति जताई है। इससे पहले, नायडू ने बिहार में

केन्द्र की विवादस्पद विशेष मतदाता पुनरीक्षण पहल को लेकर नाराज़गी जताई थी। विपक्ष ने भी तीखे शब्दों में विशेष मतदाता पुनरीक्षण की आलोचना की थी तथा इसे, चुनाव से ठीक पहले, एक संवेदनशील राज्य में मतदाता सूची से छेड़छाड़ का प्रयास बताया था। पिछले एक महीने में, नायडू ने कम से कम छह प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर चिंता जताई है, जो संकेत देता है कि एक समय

मजबूत रहा एनडीए का गठबंधन अब ढीला हो रहा है। नायडू की यह सतर्क, लेकिन रणनीतिक स्थिति भाजपा एवं विपक्ष दोनों के लिये ही इस बात का संकेत मानी जा रही है कि टीडीपी भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर नए विकल्पों पर विचार कर रही हो सकती है।

आंध्र के मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों का कहना है कि नायडू “राजनीतिक हालात” पर गहराई से नजर रखे हुए हैं, खासकर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर। एक शीघ्र टीडीपी पदाधिकारी ने इस संवाददाता को पुष्टि की कि “नायडू, बिहार चुनाव परिणामों के बाद ही, मोदी सरकार को भविष्य में समर्थन देते रहने के बारे में स्पष्ट रुख अपनाएंगे।” राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नायडू के हालिया कदम एनडीए के क्षेत्रीय सहयोगियों में बढ़ती स्वायत्तता की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। हैदराबाद के एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# ‘रुस से तेल खरीदा तो आयात शुल्क और बढ़ायेंगे’

वाशिंगटन, 04 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी है कि यदि भारत ने रुस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वह भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क और बढ़ा देंगे। ट्रंप ने टुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत को इस बात की चिंता नहीं है कि यूक्रेन में रुस कितने लोगों को मार रहा है। इस कारण, “मैं भारत द्वारा

- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने फिर भारत को धमकी दी।
- अमेरिका को दिये जाने वाले आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी करूँगा।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ रुस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि उसमें से ज्यादातर तेल खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने 01 अगस्त से दुनिया के कई देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# ट्रंप की टैरिफ धमकी के जवाब में स्वदेशी का नारा दिया प्र.मंत्री मोदी ने

## प्र.मंत्री ने एक रैली में कहा, हम वो सामान खरीदेंगे, जो एक भारतीय के पसीने से बना हो

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 4, अगस्त। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक चुनौतीपूर्ण रुख अपनाते हुए, देशवासियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील की और संकेत दिया कि भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखेगा। जानकारी सूत्रों ने ब्लूमबर्ग को बताया, भारत सरकार ने देश की तेल रिफाइनरियों को रूसी तेल की खरीद रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया है और इस बारे में कोई अंतिम निर्णय भी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सार्वजनिक और निजी, दोनों तरह की रिफाइनरियों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्रोत चुनने की अनुमति है और

कच्चे तेल की खरीद एक व्यावसायिक निर्णय बना हुआ है। सप्ताहांत में पीएम मोदी ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार ने भारत के निर्यातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है और भारत की खरीद जारी रखता है तो और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा था, विश्व अर्थव्यवस्था अनेक आशंकाओं से गुजर रही है, एक अस्थिरता का माहौल है, “अब जो भी हम खरीदें, एक ही कसौटी होनी चाहिए, हम वही चीजें

- ट्रंप की टैरिफ धमकी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया और निर्देश दिए कि रुस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी जाएगी।
- यूक्रेन युद्ध रोकने पर पुतिन के इन्कार के बाद ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा और कहा कि भारत रुस से जो तेल खरीद रहा है उसी आय से रुस युद्ध कर रहा है।
- हालांकि, चीन भी रुस से बराबर तेल खरीद रहा है, पर, विश्व की इस दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था से टकराने की हिम्मत शायद अमेरिका में नहीं है। इसलिए अमेरिका व उसके समर्थक देश भारत पर निशाना साध रहे हैं।
- चूंकि, भारत एक बहुत बड़ा कन्ज्यूमर बेस है, इसलिए सवाल यह है कि इतने बड़े उपभोक्ता बाज़ार की अनदेखी कर अमेरिका, भारत पर टैरिफ कब तक जारी रखेगा?

खरीदेंगे, जो एक भारतीय के पसीने से बनी है।” यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिशों के तहत अमेरिका ने अब भारत को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स सदस्यता और रुस के साथ घनिष्ठ संबंधों को लेकर भारत की तीखी आलोचना की और कहा, “वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को साथ लेकर डूब सकते हैं।” यह बात अमेरिका की ओर से एक बड़े रुख परिवर्तन का संकेत है। अमेरिका ने वर्षों तक भारत और रुस के ऐतिहासिक संबंधों को नजरअंदाज करते हुए भारत को एशिया में चीन के मुकाबले संतुलन के रूप में देखा था।

अब राष्ट्रपति ट्रंप इस रणनीति को त्यागते हुए, पुतिन पर दबाव बढ़ाने की राह पर हैं, जिन्होंने युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी कोशिशों का विरोध किया है। वाइट हाउस के उप प्रमुख स्टीफन मिलर ने रविवार को भारत पर भारी टैरिफ लगाने, अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने और रुस से चीन के बराबर तेल खरीदने का आरोप लगाया। मिलर ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री के साथ हमेशा शानदार संबंध चाहते रहे हैं, लेकिन अब हमें युद्ध की फंडिंग के विषय में सच्चाई का सामना करना होगा।” मिलर ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप सभी विकल्पों को खुला रखे हुए हैं, (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

# झारखंड के पूर्व मु.मंत्री शिबू सोरेन का निधन



नयी दिल्ली/रांची, 04 अगस्त। पृथक झारखंड आंदोलन के अग्रदूत एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को यहां निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। सोरेन एक माह से भी अधिक समय से यहां सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती थे। उनका किडनी तथा हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यहां गंगाराम अस्पताल जाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से (शेष अंतिम पृष्ठ पर )